प्रेषक,

विद्याशंकर सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-5 **लखनऊ:: दिनांक:: 02 मार्च, 2021**

विषय:- वित्तीय वर्ष 2020-21 में कम्प्रेहेन्सिव एग्रीकल्चर इन्फार्मेशन सिस्टम का विकास योजना हेतु वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-अभि०/2341/सी0ए0आई0एस0/2020-21, दिनांक 19.02.2021 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म, 109-विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण, 10-कम्प्रेहेन्सिव एग्रीकल्चर इन्फार्मेशन सिस्टम का विकास योजना के मानक मद 42-अन्य व्यय में प्राविधानित धनराशि रू० 2.00 लाख (रू० दो लाख मात्र) की धनराशि का अग्रिम आहरण कर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर को उपलब्ध कराये जाने हेतु श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2- वित्त (लेखा) अनुभाग-1, उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या-ए-1-235/दस-2011-15/1(1)/69, दिनांक 10.06.2011 द्वारा समान की पूर्ति/मशीनों की मरम्त तथा रख रखाव के लिए किसी भी एक मामले में विभागाध्यक्ष द्वारा 1 लाख से अनधिक तथा प्रशासकीय विभाग द्वारा रू० 5 लाख से अनधिक अग्रिम भुगतान की स्वीकृति प्रदान किये जाने के निर्देश दिये गये है। अत: उक्त स्वीकृत धनराशि का भुगतान तदनुसार सुनिश्चित किया जाय।

3- यह भी सुनिश्चित किया जाए कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य योजना से स्वीकृति नहीं हुआ/हो रहा हों। उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग किसी भिन्न प्रयोजन के लिए किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा और पूरी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा।

4- शासकीय व्यय में मितव्ययिता नितांत आवश्यक है। व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानको (स्टेण्टड्र्स ऑफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।

5- यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का प्रदेशन (एलाटमेंट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। व्यय करने के पूर्व यदि आवश्यक हो तो सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाए।

6- उक्त मद में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म, 109-विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण, 10-कम्प्रेहेन्सिव एग्रीकल्चर इन्फार्मेशन सिस्टम का विकास योजना के मानक मद 42-अन्य व्यय के नामें डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

7- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनांक 24 मार्च, 2020 में उल्लिखित दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। यह आदेश उक्त शासनादेशों में प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

विद्याशंकर सिंह
विशेष सचिव,

संख्या-13/2021/256(1)/12-5-2021, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय/प्रधान महालेखाकार (सिविल/आडिट)-प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. उप निदेशक, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर।
3. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. वित्त नियंत्रक, उ०प्र० कृषि निदेशालय, कृषि भवन, लखनऊ।
5. सहायक निदेशक (कम्प्यूटरएवं समन्वय) कृषि भवन, लखनऊ।
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1/वित्त (लेखा) अनुभाग-1/बजट अनुभाग-1/2/नियोजन अनुभाग-3
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
वीरेन्द्र कुमार
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।